न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 118/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1बाबूलाल पुत्र जेठाराम जाति सुथार 2गीता पत्नी चम्पालाल जाति सुथार 3मदन लाल पुत्र जेठाराम जाति सुथार निवासीगण कालडी तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार (भू.अ.) नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.12.19

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) नागौर द्वारा मौजा नागौर के नामान्तरकरण सं. 2001 निर्णय दिनांक 19.03.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 21.12.2017 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 2001 दिनांक 19.03.15 की फोटोप्रति, बेचान बाबूलाल बहक बाबूलाल की फोटोप्रति, बेचान पुरूषोत्तम बहक गीता की फोटोप्रति, बेचान बाबूलाल बहक गीता की फोटोप्रति तथा बेचान पुरूषोत्तम बहक मदनलाल की फोटोप्रति पेश की है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि गलत रूप से कम रकबा का भरा गया उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नही होने से उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व पूर्व मे अपील पेश नही की जा सकी, जबकि अपीलांट्स का अपने अपने संपूर्ण रकबे की भूमि पर कब्जा निरंतर निर्बाध रूप से चल आ रहा है। उक्त गलत व अवैध तरीके से भरे गये नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी दिनांक 30.10.17 को होने पर म्यूटेशन की नकल के लिये आवेदन पेश किया जो नामान्तरकरण सं. 2001 की नकल दिनांक 02.11.17 को प्राप्त हुई। जानकारी के दिवस से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की है। जिसे अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायसंगत है। जिसका प्रतिपक्ष द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मामले मे नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2001 ग्राम नागौर का स्वीकार करने का आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया होने के कारण अवैध है।

{2}(II)–अपीलांट सं. 1 ने भूखण्ड सं. 30 व 31 के जरिये कुल 1728 वर्ग फुट का क्रय किया था जिसके अनुसार उसका रकबा 0.02 बिस्वा होता है इसी प्रकार अपीलांट सं. 2 ने भूखण्ड सं. 28, 29 का कुल क्षेत्रफल 672 वर्गफुट रकबा 0.007 बिस्वा व खसरा नं. 30 व 31 का कुल क्षेत्रफल 672 वर्गफुट रकबा 0.007 बिस्वा होता है। इसी प्रकार अपीलांट सं. 3 ने भूखण्ड सं. 28 व 29 के जरिये कुल 1728 वर्गफुट भूमि का क्रय किया था, जिसके अनुसार रकबा 0.02 बिस्वा होता है। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट सं. 1 के हक मे एक भूखण्ड के हिसाब से 0.01 बिस्वा, अपीलांट सं. 2 के हक मे दो भूखण्ड के हिसाब से 0.007 बिस्वा व अपीलांट सं. 3 के हक मे एक भूखण्ड के हिसाब से 0.01 बिस्वा का नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कर दिया जबकि वास्तव मे अपीलांट सं. 1 के हक मे दो भूखण्ड का रकबा 0.02 बिस्वा, अपीलांट सं. 2 के हक मे चार भूखण्ड का रकबा 0.007 व 0.007 बिस्वा व अपीलांट सं. 3 के हक मे दो भूखण्ड का रकबा 0.02 बिस्वा का नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। किन्तु ऐसा नही कर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपीलांटस के पक्ष मे रेस्पोडेन्ट ने कम रकबा का नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्व होने से अवैध है।

{2}(III)–उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी होने पर इसमे संशोधन करने के लिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मौखिक निवेदन किया तो उन्होने कथन किया कि मेरे द्वारा नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत किये जा चुके है इसलिये अब मै कुछ भी नही कर सकता आप अपील करे। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गलत रूप से अपीलांटस के भूखण्डो के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नही कर कम रकबे का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति भी हो रही है। इस प्रकार से गलत रूप से तहसीलदार नागौर ने नामान्तरकरण भरने मे भारी कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(IV)–अपीलाधीन आदेश अवैध व शून्य है तथा रेस्पोडेन्ट ने विक्रय पत्रो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कम रकबा का इन्द्राज कर दिया इस प्रकार विधि द्वारा प्रदत प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत आदेश पारित किया है तथा ऐसे असवैधानिक आदेश को न्यायालय मे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे अवैधानिक आदेश को मियाद का कानून भी लागू नही होता है। जिससे आदेश जैर अपील नामान्तरकरण निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 2001 पंजीबद्व दस्तावेजात के आधार पर भरा गया है। जो विधिअनुसार सही है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 2001 वाके नागौर बेचाननामो के आधार पर भरा जाकर दिनांक 19.03.15 को स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से तर्क यही रहा है कि विक्रय अभिलेख के अनुसार अपीलांट सं. 1 बाबूलाल ने दिनांक 17.10.14 को भूखण्ड सं. 30 व 31 की 1728 वर्गफुट यानि 192 वर्गगज व अपीलांट सं. 2 गीता ने प्लॉट सं. 30 व 31 की 672 वर्गफुट यानि 74.66 वर्गगज यानि दोनो अपीलांटस को 266.66 वर्गगज का नामान्तरकरण के विपरीत 0.01.07 बीघा का ही भरा गया है। जो गणनात्मक त्रुटिवश कम रकबे का भरा गया है। इसी प्रकार अपीलांट सं. 3 मदनलाल ने भूखण्ड सं. 28 व 29 की 1728 वर्गफुट यानि 192 वर्गगज भूमि क्रय की उसका भी नामान्तरकरण 0.01.07 बीघा का ही भरा गया है। जबकि विक्रय पत्र इससे अधिक भूमि का है। इसलिये माफिक विक्रय पत्र ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं नामान्तरकरण के अवलोकन से विक्रय अभिलेख व नामान्तरकरण मे अंकित रकबे मे अंतर प्रतीत होता है। अतः आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील नामान्तरकरण सं. 2001 वाके नागौर पर पारित आदेश दिनांक 19.03.2015 खारिज किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स को नोटिस देकर उपरोक्त विवेचनानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए संबंधित विधिक दस्तावेजो का तथा मौके की स्थिति का अवलोकन व परीक्षण कर नियमों / परिपत्रों के परिपेक्ष्य मे पुनः सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान